न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 62 / 2014

उनवान

1. श्री रामेश्वर पिता ऊंकार पिता लादू नाई निवासी हाजियास, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मिश्री लाल पिता लादू नाई निवासी हाजियास तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. गोविन्द पिता मगना जाट निवासी हाजियास,
3. तेजू पिता हजारी बलाई निवासी हाजियास,
4. श्रवण पिता हजारी बलाई निवासी हाजियास,
5. मोहन पिता हजारी बलाई निवासी हाजियास,
6. मोहन पिता कजोड जाट निवासी हाजियास, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 223 / 2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.9.2012

अधिवक्तागण :–

1. श्री बी एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री बी एल वैष्णव ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 30.7.2018

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी ग्राम हाजियास पटवार क्षेत्र फलामादा तहसील हुरडा के खाता संख्या नया 200 पुराना 240 की आराजी नम्बर 373 लगायत 376, 383 व 384 कुल किता 6 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा व खाता संख्या नया 409 पुराना 412 की आराजी नम्बर 372 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा व आराजी नम्बर 1657/370 रकबा 2 बीघा जुमला रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा में वादी ख़ातेदार होकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जिसकी जमाबंदी की नकल संवत 2065 से 2068 संलग्न है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अनावश्यक वाद न बढे इसलिए वादी अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रतिवादी वादी की उक्त आराजियात के पडौसी है । वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 6.6.2012 को आपसी सहमति से पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने मना कर दिया । अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाकर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण को उनके अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई थी। पटवारी हल्का ने दिनांक 26.2.2016 को पत्थरगढी के आदेश के बारे में बताया तब जाकर अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अवलिम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पत्थरगढी कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धरा 89 के तहत वाद पेश किया जबकि पत्थरगढी हेतु राजहस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 – 128 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पत्थरगढी नहीं होते हुए भी इन प्रावधानों के तहत वाद डिक्री कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 372 व 1657 / 370 किता 2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा पर वादी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है बल्कि इस भूमि पर अपीलार्थी व अपीलार्थी के पूर्वजों का निरस्त आधिपत्य चला आ रहा है । इस भूमि को काफी लागत लगाकर मिट्टी भरवाकर कृषि योग्य अपीलार्थी ने बनाया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आराजी नम्बर 372 व 1657/370 किता 2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा पर 40–45 वर्षो से अपीलार्थी का कब्जा चला आ रहा है । वादी एवं अपीलार्थी की भूमि के बीच कई वर्षो पुराना मिट्टी का डोल लगा रखा है । अपीलार्थी ने वादी की किसी भूमि पर नाजायज कब्जा नहीं किया है। बल्कि नवीन बन्दोबस्त में गत बन्दोबस्त के मुकाबले अधिक भूमि दर्ज हो गई है। जिसका नाजायज फायदा उठाने की नियत से वादी ने उक्त वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। यदि अपीलार्थी द्वारा जबरन वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है तो वादी को कब्जेयाबी का वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 89 एवं धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही एक साथ नहीं चल सकती है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पत्थरगढी में पडौसी खातेदार को पक्षकार संयोजित किया जाना होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

9. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेद है कि अपीलाधीन आदेश पत्थरगढी का है । जिसकी अपील की सुनवाई करने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। पत्थरगढी की अपील संभागीय आयुक्त महोदय के यहॉ प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन मामले में निर्णय के साथ डिक्री पारित की है इसलिए माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी गई है।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलाधीन मामले में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर साथ में धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी संयोजित की है। पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है जिसकी अपील संभागीय आयुक्त महोदय के यहॉ प्रस्तुत की जाती है। परन्तु धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पत्र सहायक कलक्क्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि अपीलाधीन मामले में धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के साथ संयोजित कर वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। साथ ही धारा 89 के तहत किसी खातेदार अथवा भूमिधारी (राज्य सरकार के अलावा) द्वारा काश्तकारों के मध्य सीमा विवाद इस धारा के अन्तर्गत निर्णित नहीं किये जा सकते है न ही सीमाज्ञान अथवा पत्थरगढी का वाद उक्त धारा के अन्तर्गत निर्णित किया जा सकता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन मामले में डिक्री पारित की गई है। जो विधिसम्मत नहीं है । अतः अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विधि अनुसार प्रकरण में धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही का निस्तारण किया जावे। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि जिसकी पत्थरगढी की जानी है, के सभी पडौसियान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

11. अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.9.2012 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के तहत वादग्रस्त भूमि जिसकी पत्थरगढी की जानी है के पडौसियान को पक्षकार संयोजित कर बाद विचारण विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.9.18 को उपस्थित रहें।

12. निर्णय आज दिनांक 30.7.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

30/7/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★ सत्यमेव जयते